रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2002/वैशाख 2, 1924
No. 187] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2002/VAISAKHA 2, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2002

सा.का.नि. 297(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 52 की उपधारा (1) और धारा 110 के साथ पठित धारा 64 के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधिके अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ;

इन नियमों से संबंधित आक्षेप या सुझाव संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियम, 2002 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

(i) नियम 115ग के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(6) मूल उपस्कर फिटमेंट सहित यानों के लिए-- (i) तिपहिया यानों से भिन्न यान विनिर्माता द्वारा विनिर्मित मूल उपस्कर फिटमेंट वाले एलपीजी यान का प्रत्येक माडल भारत स्टेज - II टाइप अनुमोदन, उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार अनुमोदित टाइप का होगा और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा और तिपहिया यानों की दशा में, माडल इंडिया - 2000 (इंडिया स्टेज - I) टाइप अनुमोदन उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार अनुमोदित टाइप का होगा और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा ;

(ii) विनिर्दिष्ट इंजन क्षमता के लिए अनुमोदित मूल उपस्कर फिटमेंट एलपीजी इंजन यथा लागू इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए, आधार माडल और उसके रूपांतरणों पर प्रतिष्ठापित किया जा सकता है ;

(iii) इन नियमों के अधीन विशिष्ट सामग्री और दृश्यमान प्रदूषकों (धूम्र) उत्सर्जनके लिए परीक्षण लागू नहीं होंगे ; और

(iv) विद्यमान सीओपी प्रक्रिया भी लागू होगी ।

स्पष्टीकरण— मूल उपस्कर फिटमेंट यानों की दशा में,-

(क) ऐसे यानों को, जिनका विनिर्माण मूल उपस्कर द्वारा किया जाता है, टाइप अनुमोदन मंजूर करने के प्रयोजन के लिए निष्पादन परीक्षण, परीक्षण अभिकरणों द्वारा नीचे दी गई सारणी के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज (समय-समय पर यथा संशोधित)
(1)	(2)	(3)
(i)	द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण	एमओएसटी/सीएमवीआर/टीएपी- 115/116 और इस बाबत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
(ii)	इंजन निष्पादन परीक्षण	आई एस : 14599 - 1999
(iii)	ग्रेडबिल्टी	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसार
(iv)	स्थिर गति ईंधन खपत परीक्षण	आई एस : 11921, 1986 (चार पहिया वाहनों के लिए) आई एस : 10944, 1983 (मोपेड के लिए) आई एस : 10881, 1984 (मोटर साइकिल और स्कूटर के लिए)
(v)	इलेक्ट्रो- मैगनेटिक इंटरफेरेंस (ईएमआई)	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसार

(1)	(2)	(3)
(vi)	बसों के लिए कम सेकम 250 कि.मी. का रेंज परीक्षण	—
(vii)	कूलिंग परफारमेंस	आई एस : 14557, 1998

टिप्पण-- द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण यथा लागू इंजन डायनमोमीटर या चैसिस डायनमोमीटर पर किया जाएगा ।

(ख) एलपीजी यानों, किट संघटकों जिसमें उनका प्रतिष्ठापन भी सम्मिलित है, के लिए परीक्षण की प्रक्रिया और सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांत तब तक समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 025 के अनुसार होंगे जब तक भारतीय मानक ब्यूरो के तत्स्थानी विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं और एआईएस 025 में अंतर्विष्ट सुरक्षा जांच की विस्तृत प्रक्रिया के अतिरिक्त उपाबंध 8 में दिए अनुसार होंगे ;

(ग) मूल उपस्कर फिटमेंट विनिर्मित यानों के लिए टाइप अनुमोदन का दायित्व उस यान के विनिर्माता पर होगा ;

(घ) परीक्षण अभिकरण, किट प्राप्त करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर परीक्षण पूरा करेगा और आवश्यक प्रमाणपत्र देगा ।

(7) **ऐसे डीजल इंजन का, जो उपयोग में है, नए एलपीजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन**-- ऐसा यान, जो "उपयोग में है" और जिसका डीजल इंजन नए एलपीजी इंजन से प्रतिस्थापित किया गया है, टाइप अनुमोदन के लिए नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित भारत स्टेज-II के उत्सर्जन मान और परीक्षण के अनुरूप होंगे और लागू होंगे, अर्थात् :–

सारणी

क्र.सं.	परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
(1)	(2)	(3)
(i)	द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण	एमओएसटी/सीएमवीआर/टीएपी- 115/116 और इस बाबत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
(ii)	इंजन निष्पादन परीक्षण	आई एस : 14599 - 1999
(iii)	ग्रेडबिल्टी परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसार
(iv)	स्थिर गति ईंधन खपत परीक्षण	आई एस : 11921, 1986 (चार पहिया वाहनों के लिए) आई एस : 10944, 1983 (मोपेडों के लिए) आई एस : 10881, 1984 (मोटर साइकिलों और स्कूटरों के लिए)
(v)	इलेक्ट्रो- मैगनेटिक इंटरफेरेंस (ईएमआई)	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसार
(vi)	बसों के लिए कम सेकम 250 कि.मी. का रेंज परीक्षण	—
(vii)	कूलिंग परफारमेंस	आई एस : 14557, 1998

स्पष्टीकरण— (क) ऐसे यानों में जिन्हें टाइप अनुमोदन के लिए नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इन नियमों के अधीन यथा लागू उपयुक्तता अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा ;

(ख) एलपीजी यानों, किट संघटकों जिसमें उनका प्रतिष्ठान भी सम्मिलित है, के लिए परीक्षण की प्रक्रिया और सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांत तब तक समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 025 के अनुसार होंगे जब तक भारतीय मानक ब्यूरो के तत्स्थानी विनिर्देश अधिसूचित नहीं होते हैं और एआईएस 025 में अंतर्विष्ट सुरक्षा जांच की विस्तृत प्रक्रिया के अतिरिक्त उपाबंध 8 में दिए अनुसार होंगे ;

(ग) परीक्षण अभिकरण, उन्हें परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने से तीन मास के भीतर परीक्षण पूरा करेगा और आवश्यक प्रमाणपत्र देगा ; और

(घ) परीक्षण अभिकरण से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे माडलों और उनके रूपांतरणों को, जिन पर नए इंजन का प्रतिस्थापन विधिमान्य होगा, विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित करेगा ।

(8) उत्सर्जन मान— नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित उत्सर्जन मानदंड उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने उल्लिखित इंजनों के तत्स्थानी प्रवर्गों को लागू होंगे ।

सारणी

क्र.सं.	इंजनों के प्रवर्ग	लागू उत्सर्जन मान
(1)	(2)	(3)
(i)	यान में जीवीडब्ल्यू सहित फिट किए गए 3.5 टन के समतुल्य से कम	• एलपीजी में संपरिवर्तित डीजन यानों के लिए चैसिस डायनमोमीटर परीक्षण के लिए विद्यमान डीजन इंजन ।
(ii)	यान में जीवीडब्ल्यू सहित फिट किए गए 3.5 टन से अधिक	• 13-माड स्टीडी- स्टेज इंजन डायनमोमीटर परीक्षण पर आधारित विद्यमान डीजन इंजन उत्सर्जन मानदंड ।

(9) एलपीजी यान/किट संघटक, जिसमें संस्थापन सम्मिलित है, उपाबंध 8 में दिए गए सुरक्षा जांच का अनुपालन करेंगे ।

(10) परीक्षण अभिकरण उपाबंध 10 में यथा उल्लिखित एलपीजी यानों और संपरिवर्तित किटों के लिए 'सीएनजी और एलपीजी प्रचालित यानों के टाइप अनुमोदन के लिए सुरक्षा और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं' अंतर्विष्ट करते हुए प्रत्येक टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

टिप्पण— इस नियम के प्रयोजन के लिए— (1) "मू.उ. फिटमेंट वाले यान" से ऐसा यान अभिप्रेत है जो उसके पहले रजिस्ट्रीकरण से पूर्व, यान विनिर्माता द्वारा एलपीजी प्रचालन के लिए विनिर्मित किया गया है ;

(2) "नए एलपीजी इंजन से प्रतिस्थापित डीजन इंजन वाले उपयोग में यान के टाइप अनुमोदन" से ऐसा यान अभिप्रेत है जो पहले से ही डीजन यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और तत्पश्चात् एलपीजी फिटिंग पर प्रचालन के लिए एक ऐसे नए इंजन द्वारा संपरिवर्तित किया गया है जिसे एलपीजी पर प्रचालन के लिए अनुकूलित किया गया है ;

(3) एआईएस या आई एस विनिर्देश समय-समय पर संशोधित किए जा सकेंगे ।"

(ii) उपाबंध 10 में, "(नियम 115ख की मद च देखिए)" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "(नियम 115ख की मद च और नियम 115ग का उपनियम (10) देखिए)" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आर टी-11011/11/2001-एम वी एल]
आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण— मूल नियम सा०का०नि 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा०का०नि० 901(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2001 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2002

G.S.R. 297(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by clause (p) of section 64, read with sub-section (1) of section 52 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1989 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions to these draft rules may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (---- Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force after six months from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules),
(i) in rule 115C, after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely -

(6) For Vehicles with Original Equipment fitment.– (i) Each model of O.E. fitment LPG dedicated vehicle, other than three-wheelers, made by vehicle manufacturer shall be type approved as per the Bharat Stage-II type approval emission norms and shall comply with the provisions of these rules and in case of three-wheelers, the model shall be type approved as per the India – 2000 (India Stage- I) type approval emission norms and shall comply with the provisions of these rules;

(ii) O.E. fitment LPG engine approved for specific engine capacity can be installed on the base model and its variants complying with the requirements under these rules as applicable;

(iii) Tests for particulate matter and emission of visible pollutants, (smoke) under these rules shall not be applicable; and

(iv) Prevailing COP procedure shall also be applicable.

Explanation.-- In the case of O. E. fitment vehicles:-

(a) For the purpose of granting Type Approval to the vehicle Manufactured by O.E., performance tests shall be carried out as per the Table given below by the test agencies, namely:-

TABLE

Sl. No.	Test	Reference Document (as amended from time to time)
(1)	(2)	(3)
(i)	Mass emission tests	MOST/CMVR/TAP-115/116 and notification issued by the Government of India in this respect
(ii)	Engine performance tests	IS: 14599-1999
(iii)	Gradeability	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.
(iv)	Constant speed fuel consumption Test	IS 11921, 1986 (for 4 wheelers) IS 10944, 1983 (for mopeds) IS 10881, 1984 (for motorcycles and scooters)
(v)	Electro-Magnetic Interference (EMI)	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules, 1989
(vi)	Range Test of at least 250 km for buses	-
(vii)	Cooling Performance	IS 14557, 1998

Note: The mass emission tests shall be carried out either on engine dynamometer or chassis dynamometer, as applicable.

(b) Test procedure and safety guidelines for LPG vehicles, kit components including installation thereof shall be as per AIS 025, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified and shall be as given in Annexure-VIII in addition to the detailed procedure of Safety Checks contained in AIS 025;

Contd. 3/-

(c) For O. E. fitment manufactured vehicles, the responsibility of Type Approval shall be that of the vehicle manufacturer;

(d) The test agency shall complete the test and give necessary certificate within a period of three months from the date of receiving the kits.

(7) **REPLACEMENT OF IN-USE DIESEL ENGINE BY NEW LPG ENGINE**.-- For type approval of "In-Use" vehicle having diesel engine replaced by new LPG engine, it shall meet Bharat Stage–II emission norms and tests mentioned in the Table given below shall be applicable, namely:-

TABLE

Sl. No.	Test	Reference Document
(1)	(2)	(3)
(i)	Mass emission tests	MOST / CMVR / TAP-115 / 116 notification issued by the Government of India in this respect
(ii)	Engine performance tests	IS 14599-1999
(iii)	Gradeability test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules, 1989
(iv)	Constant Speed Fuel Consumption	IS : 11921, 1986 (for 4 wheelers) IS : 10944, 1983 (for mopeds) IS: 10881, 1984 (for motorcycles and scooters)
(v)	Electro Magnetic Interference (EMI)	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules, 1989
(vi)	Range test of at least 250 km for buses	-
(vii)	Cooling performance	IS: 14557, 1998

Explanation.-- (a) Vehicles offered for Type Approval to the testing agency referred to in rule 126 shall have to comply with fitness requirement, as applicable under these rules;

(b) Test procedure and safety guidelines for such LPG vehicles, kit components including installation thereof shall be as per AIS 025, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified and shall be as given in Annexure VIII in addition to the detailed procedure or Safety checks contained in AIS 025;

(c) The test agency shall complete the test and give necessary certificate within three months of the same being submitted for tests; and

Contd. 4/-

(d) Test agencies shall be required to indicate specifically, the models and their variants on which the replacement of new engine shall be valid.

(8) **EMISSION NORMS.**-- The emission norms as mentioned in column (3) of the Table below shall be applicable to the corresponding categories of engines as mentioned against them in column (2) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Category of Engines	Applicable Emission Norms
(1)	(2)	(3)
(i)	Fitted in vehicles with GVW equal to or less than 3.5 ton	• For diesel vehicles converted to LPG, prevailing diesel engine norms for chassis dynamometer test.
(ii)	Fitted in vehicles with GVW greater than 3.5 ton	• Prevailing diesel engine emission norms based on 13-mode steady-state engine dynamometer test.

(9) LPG vehicle/kit components including installation shall comply with the Safety Checks as given in Annexure VIII.

(10) Test agencies shall issue every Type Approval certificate containing the 'Safety and Procedural Requirements for Type Approval of CNG and LPG Operated Vehicles', for LPG vehicles and conversation kits, as mentioned in Annexure X.

Note : For the purpose of this rule,-- (1) "O. E. fitment LPG dedicated vehicle" means the vehicles which are manufactured for LPG operation by the vehicle manufacturer prior to their first registration;

(2) "Type approval of In-Use vehicle having diesel engine replaced by new LPG Engine" means a vehicle already registered as a diesel vehicle and is subsequently converted for operation on LPG by fitting a new engine adapted to operate on LPG;

(3) The AIS or IS specifications may be amended from time to time."

(ii) in the Annexure X, for the brackets, words, letters and figures "(see item F of rule 115B)", the brackets, words, letters and figures "(see item F of rule 115B and sub-rule (10) of rule 115C)" shall be substituted.

[F. No. RT-11011/11/2001-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note: The principal rules were notified vide G.S.R. 590 (E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 901 (E), dated the 13th December, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002